न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 38/2002

वादीः—

1. लाडकंवर जोजे बख्तावरसिंह, जाति—राजपूत,निवासी—काणदरा, तहसील पाली, जिला पाली,

बनाम प्रतिवादीगणः—

1. मृत गुमानसिंह पुत्र जुंजारसिंह के कायम मुकामः—
   - 1/1 मोहनकंवर बेवा गुमानसिंह
   - 1/2 सायरकंवर पुत्री गुमानसिंह
   - 1/3 उगमसिंह पुत्र गुमानसिंह
   - 1/4 गोविन्दसिंह पुत्र गुमानसिंह
   - 1/5 मदनसिंह पुत्र गुमानसिंह
   - 1/6 दशरथकंवर पुत्री गुमानसिंह
2. गोपालसिंह पुत्र गुमानसिंह
3. रूपसिंह पुत्र गुमानसिंह
4. गुलाबसिंह पुत्र जालमसिंह
5. नाथुसिंह पुत्र जालमसिंह
6. अभयसिंह पुत्र जालमसिंह
7. छैलकंवर जोजे गोपालसिह जतिगण—राजपूत, निवासी गण — काणदरा, तहसील व जिला—पाली
8. जीवाराम पुत्र धन्ना कौम कीर, साकिन मानपुरा की ढाणी
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पाली

उपस्थितिः—

1. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक वादी
2. श्री दौलत मकवाना, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण

वाद अंतर्गत धारा 53,88 एवं 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रार्थना पत्र हस्ब आदेश 22 नियम 3, 9 सी. पी. सी. सपठित धारा—151 सी. पी. सी. बाबत् बनाने विधिक प्रतिनिधि मृतक वादीनी लाडकंवर का प्रार्थी शेरसिंह को एवं प्रार्थना—पत्र अन्तर्गतधारा—5 मयाद अधिनियम दिनांक 02—03—2015 (दिनांक 17—04—2017) एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22, नियम 4, 9 सपठीत धारा—151 सी पी सी मय प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—5 मयाद अधिनियम दिनांक 26—07—2016, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22, नियम 3 सपठित धारा—151 सी पी सी दिनांक 08—10—2018

—:आदेशः— दिनांक 27.01.2020

1. वकील प्रार्थी शेंरसिंह पुत्र जब्बरसिंह राजपूत, निवासी डरी द्वारा प्रार्थना—पत्र वास्ते हस्ब आदेश 22 नियम 3, 9 सी. पी. सी. सपठित धारा—151 सी. पी. सी. बाबत् बनाने विधिक प्रतिनिधि मृतक वादीनी लाडकंवर का प्रार्थी शेरसिंह को एवं प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ—पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया है कि हाजा अनवान का वाद वादीनी का वादग्रस्त आराजी निस्बत् वादीनी की ओर से विरूद्ध प्रतिवादीगण के श्रीमान् के न्यायालय मे पेश किया है जो वाद श्रीमान् के न्यायालय मे विचाराधीन है जिसकी आयन्दा पेशी तारीख 22—04—2015 नियत है। उपरोक्त अनवान का विचाराधीन वाद मे

Rahul
सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

वादीनी लाडकंवर का देहान्त दिनांक 16.10.2014 को हो चुका है, जिस मृतक वादीनी लाडकंवर द्वारा अपने जीवनकाल मे अपनी स्वेच्छा से अपनी स्वअर्जित तमाम अचल सम्पति मय हाजा वाद मे वर्णित वादग्रस्त आराजी की वसीयत दिनांक 14.10.2014 को प्रार्थी के हक मे निष्पादित कर दी थी जो प्रार्थी के पक्ष मे निष्पादित वसीयत दिनांक 14.10.2014 वादीनी लाडकंवर की अन्तिम वसीयत थी व है। चूंकि मृतक वादीनी लाडकंवर के कोई जायन्दा संतान न थी, न रही, न आज भी है एवम् न ही उक्त वादीनी लाडकंवर द्वारा अपने जीवनकाल मे किसी व्यक्ति को गोद ही लिया था एवम् न ही गोपालसिंह पुत्र गुमानसिंह, जाति–राजपूत, निवासी काणदरा, तहसील पाली, जिला पाली (राज.) मृतक वादीनी लाडकंवर का गोदी पुत्र ही है। इन उपरोक्त हालात मे मृतक वादीनी लाडकंवर द्वारा अपनी स्वअर्जित वादग्रस्त आराजी की वसीयत दिनांक 14.10.2014 प्रार्थी के हक मे निष्पादित करने से वादीनी लाडकंवर की मृत्यु दिनांक 16.10.2014 को होते ही वादग्रस्त आराजी के खातेदारी हक हकूक प्रार्थी शेरसिंह मे जरिये वसीयत दिनांक 14.10.2014 के निहीत हो चुक थे, रहे एवं है जिससे वादीनी मृतक लाडकंवर का एकमात्र विधिक प्रतिनिधि प्रार्थी शेरसिंह ही है, जिस प्रार्थी को हाजा वाद मे मृतक वादीनी लाडकंवर के स्थान पर मृतक वादीनी लाडकंवर का विधिक प्रतिनिधि के बतौर वादी के नियोजित कर उक्त हाजा वाद मे मृतक वादीनी लाडकंवर की ओर से प्रार्थी को विधिक प्रतिनिधि बना हाजा वाद को चलाने की प्रार्थी को अनुमति प्रदान किया जाना कानूनन् आवश्यक एवं लाजमी है। वादीनी लाडकंवर द्वारा अपनी स्वअर्जित वादग्रस्त आराजी को अपने जीवनकाल मे अपनी स्वेच्छा से जरिये वसीयत दिनांक 14.10.2014 के प्रार्थी के पक्ष मे निष्पादित कर व्ययन की व्यवस्था कर दी थी एवं वादीनी लाडकंवर की मृत्यु दिनांक 16.10.2014 को होते ही वादग्रस्त आराजी निस्बत खातेदारी हक हकूक प्रार्थी मे निहीत हो चुके थे व है। ऐसी स्थिति मे हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा–8 व 15 के प्रावधान कानूनन् लागू नही होते है, ऐसी कानून की मंशा है। वादग्रस्त आराजी निस्बत् वादीनी की ओर से विरूद्ध प्रतिवादीगण श्रीमान् के न्यायालय मे विचाराधीन होने की कतई कोई जानकारी प्रार्थी को नही थी। उक्त वाद मे पेशी तारीख 18.02.2015 को प्रतिवादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र हस्ब आदेश 22 नियम 3 (2) सपठित धारा–151 सी. पी. सी. का पेश करने पर वकील वादीनी द्वारा वादीनी लाडकंवर के भाई जब्बरसिंह पुत्र श्री तेजसिंह राजपूत, निवासी–डरी को दिनांक 18.02.2015 को फोन से इतला करने पर वकील वादीनी के कहने पर दिनांक 28.02.2015 को प्रार्थी वकील वादीनी से प्रार्थी को जब्बरसिंह के मार्फत इतला होने से वकील वादीनी के ऑफिस मे सम्पर्क करने पर दिनांक 28.02.2015 को वादीनी लाडकंवर की ओर से श्रीमान् के न्यायालय मे वादग्रस्त आराजी निस्बत् राजस्व वाद विचाराधीन होने की सर्वप्रथम प्रार्थी को हुई जिससे प्रार्थी की ओर से हाजा प्रार्थना पत्र पेश है। म्याद मुतलिक विस्तृत अर्ज बाबत् प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से साथ पेश है। मृत्यु प्रमाण पत्र जारी दिनांक 01.11.2014 एवत् वसीयत दिनांक 14.10.2014 की नकले प्रमाणित साथ पेश है। शपथ पत्र पेश है।

2. प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र के साथ धारा–5 मयाद अधिनियम के तहत भी अलग से प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3, 9 सपठीत धारा 151 सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने मे हुई देरी को माफ करने का निवेदन कर उक्त प्रार्थना पत्र अन्दर मयाद शुमार कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हाजा वाद मे वादीनी लाडकंवर के स्थान पर मृतक वादीनी लाडकंवर का प्रार्थी को विधिक प्रतिनिधि नियोजित फरमाते हुए उक्त वाद को चलाने की प्रार्थी को अनुमति प्रदान किये जाने का आदेश फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी का आगे निवेदन रहा कि उपरोक्त प्रार्थना–पत्र के विचाराधीन रहते प्रार्थी शेरसिंह का भी दिनांक 09–07–2018 को देहान्त हो गया, जिस पर

Rahul

सहायक कलक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

उसके विधिक वारिसान पूरणसिंह, गजसिंह पिसरान शेरसिंह, भंवर कंवर बेवा शेरसिंह एवं प्रमोदकंवर पुत्री शेरसिंह ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा–151 सी पी सी का प्रार्थना पत्र दिनांक 08–10–2018 पेश कर स्वयं को वादीनी लाडकंवर के कायममुकाम के तौर पर बतौर वादी प्रतिस्थापित करने का निवेदन किया। प्रार्थीगण के उपरोक्त सभी प्रार्थना–पत्रो की प्रतिलिपियां वकील अप्रार्थी प्रतिवादीगण को दिलाई गई।

3. वकील अप्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थी शेरसिंह द्वारा प्रस्तुत के प्रार्थना–पत्रो का पदानुसार अलग–अलग जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादीनी लाडकंवर का देहान्त दिनांक 16–10–2014 को होना स्वीकार है। लाडकंवर का देहान्त दिनांक 16–10–2014 को होने की जानकारी प्रार्थी शेरसिंह को लाडकंवर की मृत्यु की दिनांक से ही बहुत अच्छी तरह से थी व है। क्योंकि वादीनी लाडकंवर, प्रार्थी शेरसिंह की सगी बुआ थी। वादीनी लाडकंवर के देहान्त दिनांक 16–10–2014 से 90 दिन की अवधि समाप्ति के पूर्व वादीनी के कायम मुकाम की ओर से आदेश–22, नियम 03 के उपनियम 01 के तहत विधि यानि मयाद अधिनियम के आर्टीकल–120 मे वर्णित मयाद अवधि मे कायम मुकाम को पत्रावली पर प्रतिस्थापित करने हेतू आवेदन पेश नही करने से आदेश–22, नियम 03 के उपनियम–2 के तहत वादीनी का दावा बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ स्वतः एबेट हो चुका है तथा एबेटमेन्ट अपास्त करने की मयाद भी गुजर चुकी है अतः वादीया का दावा एबेट हो जाने से खारिज करने योग्य है। प्रार्थी का यह कथन गलत व झूठ है कि मृतक वादीनी लाडकंवर द्वारा अपने जीवनकाल मे अपनी स्वैच्छा से अपनी स्वअर्जित तमाम अचल सम्पति मय हाजा वाद मे वर्णित वादग्रस्त आराजी की वसीयत दिनांक 14.10.2014 को प्रार्थी के हक मे निष्पादित कर दी थी जो प्रार्थी के पक्ष मे निष्पादित वसीयत दिनांक 14.10.2014 वादीनी लाडकंवर की अन्तिम वसीयत थी व है। बल्कि सही तथ्य तो यह है कि वादीनी लाडकंवर अपनी मृत्यु की दिनांक से करीब 01 माह पूर्व से बहुत अधिक गंभीर हालत मे अस्वस्थ थी एवं मरणासन् स्थिति मे थी तथा अपने भले भूरे का वादीनी को कोई ज्ञान व ध्यान नही था। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथाकथित वसीयत वादीनी के देहान्त के 02 दिन की पूर्व की फर्जी एवं कूटरचित तैयार की गई है। इसके अवाला यहां यह भी उल्लैखनीय है कि तथाकथित वसीयतनामा निष्पादन करने का वादीनी लाडकंवर को कोई विधिक हक अधिकार नही था क्योंकि प्रथम तो वादीनी लाडकंवर वाद मे वर्णित वादग्रस्त भूमि की खातेदार काश्तकार नही थी और न है तथा द्वितीय बख्तावरसिंह ने दिनांक 06.11.1968 या अन्य किसी भी तारीख को वादग्रस्त भूमि वादीनी को बख्शीश नही की, जिस तथ्य की ताईद पत्रावली पर उपलब्ध बैचाणनामो दिनांक 11–05–1972 व बख्शीशनामा दिनांक 18–11–1978 से होती है जो बख्तावरसिंह ने बहक धनसिंह, गिरधारी व गोपालसिंह के पक्ष मे निष्पादन कर पंजीबद्ध करवाये। इसके अलावा यहां यह भी उल्लैखनीय है कि वादीनी लाडकंवर ने तथाकथित बख्शीश धारा 122 सम्पति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानो के तहत स्वीकार नही की अतः तथाकथित बख्शीशनामा विधि अनुसार नही होने से वादीनी लाडकंवर को वादग्रस्त भूमि मे कोई हक अधिकार उत्पन्न नही हुये जो वसीयत करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि मृतक वादीनी लाडकंवर के कोई संतान न थी और न रही व न आज भी है एवम् न ही उक्त वादीनी लाडकंवर द्वारा अपने जीवनकाल मे किसी व्यक्ति को गोद ही लिया था। प्रार्थी का यह कथन भी गलत व झूठ है कि गोपालसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत, निवासी काणदरा, तहसील पाली, जिला पाली मृतक वादीनी लाडकंवर का गोदी पुत्र है। बल्कि सही तथ्य तो यह है कि उक्त गोदीपुत्र गोपालसिंह के जन्मदाता पिता गुमानसिंह ने अपनी धर्मपत्नि की सहमति से गोपालसिंह को वादीनी लाडकंवर के पति बख्तावरसिंह पुत्र शिवनाथसिंह जाति राजपूत, निवासी काणदरा, तहसील पाली की गोद मे बिठाकर गोद दिया तथा वादीनी

सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

लाडकंवर के पति बख्तावरसिंह ने अपनी दोनो पत्नियो वादीनी लाडकंवर व मोहनकंवर की सहमति से राजपूत समाज के जातिगत रिती–रिवाज अनुसार रस्म अदा कर राजपूत समाज की न्यात बुलाकर उक्त गोपालसिंह को अपनी गोद मे बिठाकर मोलीया बांधकर गुड धांणे खिलाकर गोद लिया व गोद की सेरेमनी मनाई गई तथा बख्तावरसिंह ने अपने जीवनकाल मे उक्त गोद बाबत एक गोदनामा दिनांक 12–07–1968 को अपने हस्ताक्षर कर निष्पादन किया व पंजीबद्ध करवाया। इस प्रकार प्रकट है कि गोपालसिंह वादीनी लाडकंवर व बख्तावरसिंह जी का गोदीपुत्र है। उक्त गोदनामा को वादीनी ने अपने जीवनकाल मे कभी भी चेलेन्ज नही किया। इसके अलावा यहां यह भी उल्लैखनीय है कि विधि मे रजिस्टर्ड गोदनामा के सही होने बाबत न्यायालय उपधारणा करेगा, जब तक की उसे गलत साबित न कर दिया जावे। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जो उक्त रजिस्टर्ड गोदनामा को गलत साबित करती हो। बल्कि इसके विपरित बख्तावरसिंहजी द्वारा अपने गोदीपुत्र गोपालसिंह के पक्ष मे ग्राम कान्दरा के खसरा नम्बर 512 के रकबा मे से 60 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार जरिये रजिस्टर्ड बख्शीशनामा के बख्शीश किये जो बख्शीशनामा पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त बख्शीशनामा मे भी बख्तावरसिंह जी ने गोपालसिंह को अपना गोदीपुत्र होना दर्ज किया है। उपर दर्ज अनुसार जब वादीनी लाडकंवर को वसीयत करने का हक अधिकार ही नही था और न ही वादीनी लाडकंवर ने तथाकथित वसीयत प्रार्थी के पक्ष मे निष्पादन की तो प्रार्थी को लाडकंवर की मृत्यु की दिनांक से वादग्रस्त आराजी मे खातेदारी हक हकूक जरिये वसीयत दिनांक 14.10.2014 के निहित होने बाबत प्रार्थी के तमाम तथ्य कथन गलत व झूठ होने से अस्वीकार है। प्रार्थी वादीनी लाडकंवर को एकमात्र विधिक प्रतिनिधी होने बाबत् प्रार्थी का कथन गलत व झूठ है। प्रार्थी वादीया लाडकंवर का विधिक प्रतिनिधी नही है और न ही विधिक प्रतिनिधी के बतौर वादी नियोजित कर हाजा वाद चलाने का प्रार्थी को कोई हक अधिकार है। यहां यह उल्लैखनीय है कि हाजा वादीनी की मृत्यु तथा प्रतिवादी अभयसिंह की दिनांक से विधि मे वर्णित मयाद अवधि मे आवेदन प्रस्तुत नही करने से बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ वादीनी का हाजा वाद एबेट हो चुका है। प्रार्थी ने एबेटमेन्ट को अपास्त करने के लिये कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया और न ही एबेटमेन्ट को अपास्त करने बाबत् अनुतोष हस्तगत प्रार्थना पत्र मे चाहा है अतः दावा एबेटमेन्ट मे खारिज करने का निवेदन है। प्रार्थी का यह कथन गलत व झूठ है कि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 08 व 15 के प्रावधान कानूनन लागू नही होते है। प्रार्थी का यह कथन गलत व झूठ है कि वादग्रस्त आराजी निस्बत वादीनी की ओर से विरूद्ध प्रतिवादीगण श्रीमान के न्यायलय मे विचाराधीन होने की कतई कोई जानकारी प्रार्थी को नही थी। प्रार्थी का यह कथन भी गलत व झूठ है कि उक्त वाद मे पैशी तारीख 18–02–2015 को प्रतिवादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र हस्ब आदेश 22, नियम 03(2) सपठित धारा 151 सी. पी. सी. का पेश करने पर वकील वादीनी द्वारा वादीनी लाडकंवर के भाई जब्बरसिंह पुत्र तेजसिंह राजपूत निवासी डरी को दिनांक 18–02–2015 को फोन से इतला करने पर वकील वादीनी के कहने पर दिनांक 28–02–2015 को प्रार्थी वकील वादीनी से प्रार्थी को जब्बरसिंह के मार्फत इतला होने से वकील वादीनी के ऑफीस मे सम्पर्क करने पर दिनांक 28–02–2015 को वादीनी लाडकंवर की ओर से श्रीमान के न्यायालय मे वादग्रस्त आराजी निस्बत राजस्व वाद विचाराधीन होने की सर्वप्रथम प्रार्थी को हुई। बल्कि सही तो यह है कि प्रार्थी को हाजा वाद की उसकी प्रस्तुती की दिनांक से स्वयं को तथा अपने पिता जब्बरसिंह के जरिये बहुत अच्छी तरह से जानकारी थी। क्योकि प्रार्थी के पिता जब्बरसिंह ने हाजा वाद मे वादीनी की ओर से उसके मुख्तियार की क्षमता मे दिनांक 28–07–2001, 20–01–2003, 13–10–2003, 10–03–2004 व 28–02–2005 को आदरणीय न्यायालय मे बयान दिये तथा लगातार हस्तगत प्रकरण मे पैरवी कर रहे है। प्रार्थी के पिता जब्बरसिंह भूतपूर्व पटवारी रहे है जो हाजा वाद मे लगातार पेशीयो पर वादीनी

Rahul

Scanned by CamScanner

के मुख्तियार की क्षमता मे उपस्थित रहे है एवं मुकदमे की कार्यवाही मे बहैसियत मुख्तियार भाग लिया अतः प्रार्थी को अपने पिता जब्बरसिंह के जरिये यह बहुत अच्छी तरह से जानकारी थी कि वादग्रस्त आराजी बाबत हस्तगत वाद विचाराधीन है अतः प्रार्थी का यह तर्क माने जाने योग्य नही है कि उसे हस्तगत वाद की कोई जानकारी नही हो। प्रार्थी ने गलत तथ्य दर्ज कर शपथ पत्र पेश किया है। मुख्तियारनामा दिनांक 13–05–1987 पत्रावली पर प्रदर्श–ए 1 के रूप मे उपलब्ध है। गोपालसिंह पुत्र बख्तावरसिंह राजपूत निवासी कान्दरा वादीनी का गोदीपुत्र होकर एकमात्र विधिक उतराधिकारी है, न की प्रार्थी शेरसिंह। उक्त गोपालसिंह पहले से ही पत्रावली पर उपलब्ध है। वादीनी का विधिक उतराधिकारी कौन है ? उक्त विवाधक को तय करने की अधिकारीता आदेश–22 नियम 05 सी. पी. सी. के तहत आदरणीय न्यायालय को नही है बल्कि सक्षम सिविल न्यायालय को है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज करने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 06 अभयसिंह का दिनांक 11–12–2014 को देहान्त हो गया जिस बाबत प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 18–02–2015 को आदरणीय न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना दी गई जिसकी एक प्रति अधिवक्ता वादीनी को उसी दिन दी गई परन्तु उक्त मृत प्रतिवादी अभयसिंह के कायममुकामात को पत्रावली पर प्रतिस्थापित करने के लिये विहित मयाद अवधि मे आवेदन पेश नही किया गया अतः वादीनी का दावा एबेट हो चुका है। इसके अलावा यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे विधि व नियमानुसार पारिणामिक संशोधन दर्ज नही किये है जो दर्ज किया जाने बाबत आज्ञापक प्रावधान है। अतः इस कारण भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि व नियमानुसार पोषणीय नही होने से खारिज फरमावे तथा वादीनी का दावा एबेट फरमावे। जवाब प्रार्थना–पत्रों की प्रतिलिपि वकील प्रार्थी प्रतिवादीगण को दिलाई गई।

4. प्रार्थी शेरसिंह के उपरोक्त प्रार्थना–पत्रो पर विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। वकील प्रार्थी का उनकी बहस के दौरान मुख्य रूप से यह निवेदन रहा कि वादीनी लाडकंवर के देहान्त दिनांक 16.10.2014 से 150 दिन की मयाद अवधि मे प्रार्थी द्वारा आवेदन पेश किया गया अतः एबेटमेन्ट निरस्त किया जाना कानून्न लाजमी है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि चूंकि मृतक वादीनी लाडकंवर द्वारा अपने जीवनकाल मे अपनी स्वेच्छा से अपनी स्वअर्जित तमाम अचल सम्पति मय हाजा वाद मे वर्णित वादग्रस्त आराजी की वसीयत दिनांक 14.10.2014 को प्रार्थी के हक मे निष्पादित कर दी थी जो प्रार्थी के पक्ष मे निष्पादित वसीयत दिनांक 14.10.2014 वादीनी लाडकंवर की अन्तिम वसीयत थी व है। चूंकि मृतक वादीनी लाडकंवर के कोई जायन्दा संतान न थी और न ही वादीनी लाडकंवर ने अपने जीवनकाल मे किसी व्यक्ति को गोद ही लिया था अतः गोपालसिंह, मृतक वादीनी लाडकंवर का गोदी पुत्र ही है। इन उपरोक्त हालात मे मृतक वादीनी लाडकंवर द्वारा अपनी स्वअर्जित वादग्रस्त आराजी की वसीयत दिनांक 14.10.2014 प्रार्थी के हक मे निष्पादित करने से वादीनी लाडकंवर की मृत्यु दिनांक 16.10.2014 को होते ही वादग्रस्त आराजी के खातेदारी हक हकूक प्रार्थी शेरसिंह मे जरिये वसीयत दिनांक 14.10.2014 के निहीत हो चुके है जिससे वादीनी मृतक लाडकंवर का एकमात्र विधिक प्रतिनिधि प्रार्थी शेरसिंह ही है, जिस प्रार्थी को हाजा वाद मे मृतक वादीनी लाडकंवर के स्थान पर मृतक वादीनी लाडकंवर का विधिक प्रतिनिधि के बतौर वादी के नियोजित कर उक्त हाजा वाद मे मृतक वादीनी लाडकंवर की ओर से प्रार्थी को विधिक प्रतिनिधि बना हाजा वाद को चलाने की प्रार्थी को अनुमति प्रदान किया जाना कानूनन् आवश्यक एवं लाजमी है। तकनिकी आधार पर वाद एबेट नही किया जाना चाहिये बल्कि वाद को मेरीट पर निस्तारित किया जाना विधि अनुसार आवश्यक है। आदेश 22 के तहत प्रार्थना पत्र का निस्तारित करते समय

सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

न्यायालय पक्षकारो के अधिकार तय नही करता है और न ही अधिकार तय होते है, पक्षकारो के अधिकार वाद के विचारण के बाद तय किये जा सकते है। आदेश 22 नियम 3 का प्रार्थना पत्र उस न्यायालय द्वारा निस्तारित किया जायेगा जहां किसी पक्षकार की मृत्यु हुई है–इन नियम के अन्तर्गत न्यायालय का अर्थ सिविल न्यायालय ही नही है। चूंकि वादीनी को वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड बख्शीशनामा के प्राप्त हुई अतः वादीनी वादग्रस्त आराजी की धारा–14 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत पूर्ण स्वामी थी अतः वादीनी को वादग्रस्त आराजी वसीयत करने का हक अधिकार था अतः धारा–39 आर. टी. एक्ट कही लागू नही होती है। आदेश 22 नियम 3 सी. पी. सी. के प्रार्थना–पत्र को आदेश 22 के नियम 9 के तहत माना जा सकता है। विधि मे ऐसी कोई मनाही नही है। अप्रार्थी प्रतिवादीगण की आपतियां विचारण के दौरान निर्णित की जा सकती है। तकनिकी आपतियां रास्ते मे नही आती है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन मे निम्न कानूनी नजीरे पेश किः–2002 (1) आर. आर. टी. पेज 16, 2007 (1) आर. आर. टी. पेज 214, 2015 (1) आर. आर. टी. पेज 613, 2005 (2) आर. आर. टी. पेज 929, 2004 (2) आर. आर. टी. पेज 698, 2010 (1) आर. आर. टी. पेज 167, 2013 (1) आर. आर. टी. पेज 347, 2014 (2) आर. आर. टी. पेज 885, 2009 (2) डी. एन. जे. पेज 623, प्रार्थी के अधिवक्ता ने उपरोक्त नजीरे पेश कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. वकील अप्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा अपनी बहस मे निवेदन किया गया है कि वादीनी लाडकंवर का देहान्त दिनांक 16.10.2014 को होना स्वीकार है। लाडकंवर का देहान्त दिनांक 16.10.2014 को होने की जानकारी प्रार्थी शेरसिंह को लाडकंवर की मृत्यु की दिनांक से ही बहुत अच्छी तरह से थी व है तथा अधिवक्ता अप्रार्थी प्रतिवादीगण ने वसीयतनामा दिनांक 14.10.2014 मे लिखी ईबारत पढकर बताया कि प्रार्थी शेरसिंह को हस्तगत वाद आदरणीय न्यायालय मे विचाराधीन होने की भी जानकारी थीं। फिर भी प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र मे गलत एवं झूठ तथ्य कथन दर्ज कर आदरणीय न्यायालय को मिसलिड करने की कौशिश की है तथा अपने आवेदन मे प्रार्थी ने इनकरेक्ट और एक्स फेसी फाल्स कथन किये है। अतः विधि अनुसार प्रार्थी आदरणीय न्यायालय से किसी भी प्रकार की दया का पात्र नही है। इसके अलावा प्रार्थी को हाजा वाद की उसकी प्रस्तुती की दिनांक से स्वयं को तथा अपने पिता जब्बरसिंह के जरिये बहुत अच्छी तरह से जानकारी थी। क्योंकि प्रार्थी के पिता जब्बरसिंह ने हाजा वाद मे वादीनी की ओर से उसके मुख्तियार की क्षमता मे दिनांक 28.07.2001, 20.01.2003, 13.10.2003, 10.03.2004, 28.02.2005 को आदरणीय न्यायालय मे बयान दिये तथा लगातार हस्तगत प्रकरण मे पैरवी कर रहे है। प्रार्थी के पिता जब्बरसिंह भूतपूर्व पटवारी रहे है जो हाजा वाद मे लगातार पेशीयो पर वादीनी के मुख्तियार की क्षमता मे उपस्थित रहे है एवं मुकदमे की कार्यवाही मे बहैसियत मुख्तियार भाग लिया अतः प्रार्थी को अपने पिता जब्बरसिंह के जरिये यह बहुत अच्छी तरह से जानकारी थी कि वादग्रस्त आराजी बाबत हस्तगत वाद विचाराधीन है अतः प्रार्थी द्वारा वादीनी लाडकंवर के देहान्त से 90 दिन की अवधि समाप्ति के पूर्व आवेदन प्रस्तुत नही हुआ अतः आदेश 22, नियम 03 के उपनियम–2 के तहत वादीनी का दावा बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ स्वतः एबेट हो चुका है तथा एबेटमेन्ट अपास्त करने की मयाद भी गुजर चुकी है अतः वादीया का दावा एबेट हो जाने से खारिज करने योग्य है। अधिवक्ता अप्रार्थी प्रतिवादीगण का यह भी तर्क रहा कि हस्तगत प्रार्थना–पत्र को निस्तारित करने से पूर्व आदेश 22, नियम 5 सी. पी. सी. के तहत न्यायालय को पहले वादीनी लाडकंवर का विधिक प्रतिनिधि किसे बनाया जावे ? यह बिन्दू तय करना होगा। क्योंकि एक तरफ प्रार्थी वसीयत के आधार पर तो दूसरी तरफ गोपालसिंह गोदपुत्र होने के आधार पर अपने आप को वादीनी के स्थान पर प्रतिस्थापित करवाने हेतू निवेदन कर रहे है। इस संबंध

Rahul
सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

मे अधिवक्ता अप्रार्थी प्रतिवादीगण ने 1982 आर. आर. डी. पेज 367 पैरा–8 का न्याय दृष्टान्त पेशकर निवेदन किया कायममुकाम बाबत् विनिश्चयन करने का कार्य सिविल कोर्ट है तथा चूंकि प्रार्थी स्वयं ने पूर्व मे प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22, नियम 5, 10 सपठीत धारा–151 सी. पी. सी. मे आदेश 6, नियम 17 सपठीत धारा–151 सी. पी. सी. का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर आदेश 22 नियम 5, 10 सी. पी. सी. के स्थान पर आदेश 22, नियम 3, 9 सी. पी. सी. का प्रार्थना–पत्र पेश किया अतः विधि अनुसार आदेश 22 नियम 5 सी पी सी के तहत आवेदन को प्रार्थी स्वयं ने त्याग दिया है अतः विधि अनुसार न्यायालय अब प्रार्थी के आवेदन को आदेश 22, नियम 5 सी. पी. सी. के नीचे तय नही कर सकता है। इसके अलावा अधिवक्ता अप्रार्थी प्रतिवादीगण का यह भी तर्क रहा कि चूंकि वादीनी लाडकंवर वादग्रस्त आराजी की खातेदार काश्तकार नही थी, जबकी धारा–39 आर. टी. एक्ट के तहत केवलमात्र खातेदार टीनेन्ट ही वसीयत करने का अधिकारी होता है। यहां खातेदार टीनेन्ट से अर्थ जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे एज खातेदार टीनेन्ट दर्ज हो से है।

6. इसके अलावा स्वयं प्रार्थी के पिता जब्बरसिंह वादीनी के मुख्तियार के तौर पर न्यायालय मे दिनांक 20–01–2003 को दिये बयानो मे गवाह जब्बरसिंह ने बयान दिये कि "लाडकंवर बुजुर्ग है, उनकी उम्र 75 वर्ष है, कानो से कम सुनते है। लाडकंवर की मानसिक स्थिति कमजोर है।" वादीनी लाडंकवर को खातेदार नही होने से उसे न तो वादग्रस्त भूमि वसीयत करने का अधिकार था तथा प्रार्थी के पिता जब्बरसिंह के बयानो अनुसार वादीनी लाडकंवर मानसिक रूप से कमजोर थी, इस कारण भी वसीयत करने हेतू सक्षम थी। इसके अवाला पत्रावली पर उपलब्ध बैचाणनामो दिनांक 11–05–1972 व बख्शीशनामा दिनांक 18–11–1978 जो बख्तावरसिंह ने बहक धनसिंह, गिरधारी व गोपालसिंह के पक्ष मे निष्पादन कर पंजीबद्ध करवाये जिसके अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद होकर वादग्रस्त आराजी दावा प्रस्तुतीकरण के पूर्व ही आगे से आगे बैचाण हो चुकी थी अतः वक्त वसीयत से पूर्व वादग्रस्त आराजी आगे से आगे बैचाण हो चुकी थी अतः इस कारण भी प्रार्थी को तथाकथित वसीयत के आधार पर वादग्रस्त आराजी मे कोई हक अधिकार उत्पन्न नही हुआ। इसके विपरित पत्रावली पर वादीनी के पति बख्तावरसिंह द्वारा अपने जीवनकाल मे गोपालसिंह को गोद लेने बाबत एक गोदनामा दिनांक 12–07–1968 को अपने हस्ताक्षर कर निष्पादन किया व पंजीबद्ध करवाया जिससे प्रकट है कि गोपालसिंह वादीनी लाडकंवर व बख्तावरसिंह जी का गोदीपुत्र है। उक्त गोदनामा को वादीनी ने अपने जीवनकाल मे कभी भी चेलेन्ज नही किया। धारा–16 हिन्दू दतक एवं भरनपोषण अधिनियम अनुसार रजिस्टर्ड गोदनामा के सही होने बाबत न्यायालय उपधारणा करेगा, जब तक की उसे गलत साबित न कर दिया जावे। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जो उक्त रजिस्टर्ड गोदनामा को गलत साबित करती हो। बल्कि इसके विपरित बख्तावरसिंहजी द्वारा अपने गोदीपुत्र गोपालसिंह के पक्ष मे वादग्रस्त आराजी मे से खसरा नम्बर 512 के रकबा मे से 60 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार जरिये रजिस्टर्ड बख्शीशनामा के बख्शीश किये जो बख्शीशनामा पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त बख्शीशनामा मे भी बख्तावरसिंह जी ने गोपालसिंह को अपना गोदीपुत्र होना दर्ज किया है अतः गोपालसिंह, वादीनी लाडकंवर का गोदपुत्र होने से बतौर विधिक वारिस के प्रतिस्थापित किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी वादीया लाडकंवर का विधिक प्रतिनिधी नही है और न ही विधिक प्रतिनिधी के बतौर वादी नियोजित कर हाजा वाद चलाने का प्रार्थी को कोई हक अधिकार है। अधिवक्ता अप्रार्थी प्रतिवादीगण का आगे यह भी तर्क रहा कि हाजा वाद मे एकमात्र वादीनी लाडकंवर की मृत्यु की दिनांक से तथा प्रतिवादी अभयसिंह मृत्यु की दिनांक से विधि मे वर्णित मयाद अवधि मे आवेदन प्रस्तुत नही करने से बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ एबेट हो चुका है। दावा एज ए होल खारिज होगा क्योंकि प्रार्थी ने एबेटमेन्ट को अपास्त करने के

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

लिये कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया और न ही एबेटमेन्ट को अपास्त करने बाबत् अनुतोष हस्तगत प्रार्थना पत्र मे चाहा है अतः दावा एबेटमेन्ट मे खारिज करने का निवेदन है। अधिवक्ता अप्रार्थी प्रतिवादीगण का यह भी तर्क रहा कि प्रतिवादी संख्या 06 अभयसिंह का दिनांक 11.12.2014 को देहान्त हो गया, जिस बाबत प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 18.02.2015 को आदरणीय न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना दी गई जिसकी एक प्रति अधिवक्ता वादीनी को उसी दिन दी गई परन्तु उक्त मृत प्रतिवादी अभयसिंह के कायममुकामात को पत्रावली पर प्रतिस्थापित करने के लिये विहित मयाद अवधि मे आवेदन पेश नही किया गया अतः वादीनी का दावा एबेट हो चुका है। यह दावा घौषणा का है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे नियम–23 रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल पार्ट द्वितीय अनुसार पारिणामिक संशोधन दर्ज नही किये है जो दर्ज किया जाने बाबत आज्ञापक प्रावधान है, इस कारण भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि व नियमानुसार पोषणीय नही होने से खारिज फरमाने का निवेदन किया तथा अपने तर्को के समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :–1988 आर. आर. डी. पेज 23, 2010 (1) डी. एन. जे. पेज 849, 1982 आर. आर. डी. पेज 367, 2009 (1) आर. आर. टी. पेज 28, ए. आई. आर 2007 (एन.ओ.सी.) पेज 1878, ए. आई. आर. 2008 सुप्रिम कोर्ट पेज 2866, ए. आई. आर 2010 (एन.ओ.सी.) पेज 582, ए. आई. आर. 1984 उडीसा पेज 159, 2008 (2) आर. आर. टी. पेज 1247, 1987 आर. एल. डब्ल्यू. पेज 492, 2013 (2) आर. आर. टी. पेज 1415, 2010 (2) आर. आर. टी. पेज 1458, 2012 (3) डी. एन. जे. पेज 1715, 1997 (2) डब्ल्यू. एल, एन. (राज.) पेज 704 ,अप्रार्थी प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने उपरोक्त नजीरे पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दावा एबेटमेन्ट मे खारिज करने का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी प्रतिवादीगण ने विकल्प मे निवेदन किया कि अगर न्यायालय विधिक प्रतिनिधि के बिन्दू को आदेश 22, नियम 5 सी पी सी के तहत विवाधक बनाकर तय करना चाहे तो गोपालसिंह को वादीनी के विधिक प्रतिनिधि/वारिस के तौर पर रेकर्ड मे प्रतिवादी से हटाकर वादी दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

7. हमने दोनो अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरो का सम्मान अध्ययन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। जिसके अनुसार वादीनी लाडकंवर का देहान्त दौराने वाद दिनांक 16.10.2014 हो गया था, लाडकंवर द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 14.10.2014 के आधार पर विधिक प्रतिनिधि के तौर पर प्रतिस्थापित करने हेतू प्रार्थी शेरसिंह ने दिनांक 02–03–2015 को एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22, नियम 5, 10 सपठित धारा–151 सी. पी. सी. मय प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मयाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत किये। प्रार्थी के उक्त प्रार्थना–पत्रो का अप्रार्थी प्रतिवादीगण ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मयाद बाहर प्रस्तुत होने तथा गोपालसिंह के कानूनी वारिस होने और उक्त कानूनी वारिस को कायम मुकाम बनाया जाने हेतू निवेदन किया। जिसको लेकर दोनो पक्षो मे विवाद है। इस संबंध मे हमने अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर 2002 (1) आर. आर. टी. पेज 16 एवं अधिवक्ता अप्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरे 2009 (1) आर. आर. टी. पेज 28, ए. आई. आर 2007 (एन.ओ.सी.) पेज 1878, ए. आई. आर. 2008 सुप्रिम कोर्ट पेज 2866, ए. आई. आर 2010 (एन.ओ.सी.) पेज 582, ए. आई. आर. 1984 उडीसा पेज 159, 2008 (2) आर. आर. टी. पेज 1247 का अवलोकन किया जिनके अनुसार किसी मृत व्यक्ति के वारिसान के विनिश्चयन मे विवाद की स्थिति बनने पर न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर विनिश्चय आदेश 22, नियम 5 सी पी सी के तहत करने का प्रावधान है। हस्तगत वाद मे भी मृत वादीनी लाडकंवर के वारिसान के लेकर विवाद है। प्रार्थी के अनुसार वसीयत के आधार पर विधिक प्रतिनिधि के तौर पर वाद को आगे चलाना चाहता

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

है, जबकी अप्रार्थी गोपालसिंह गोदपुत्र होकर विधिक वारिस होने से कायम मुकाम बनने का हक क्लेम करता है। परन्तु इस संबंध मे यहां यह उल्लैखनीय है कि प्रार्थी शेरसिंह स्वयं द्वारा दिनांक 26–07–2016 को एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा–151 सी. पी. सी. का प्रस्तुत कर अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 02–03–2015 अन्तर्गत आदेश 22, नियम 5, 10 सपठित धारा–151 सी पी सी मे संशोधन कर आदेश 22 के बाद उप–नियम 5 के स्थान पर लाल स्याही से 3 एवं उप–नियम 10 के स्थान पर 9 जरिये संशोधन के अंकित करने का निवेदन किया। अप्रार्थी प्रतिवादीगण की ओर से उक्त प्रार्थना–पत्र का प्रतिरोध इस आधार पर किया गया कि प्रार्थी शेरसिंह वसीयत के आधार पर तथा अप्रार्थी गोपालसिंह विधिक वारिस होने के आधार पर अपने आप को वादीनी के स्थान पर प्रतिस्थापित करने हेतू निवेदन कर रहे जो विनिश्चयन् न्यायालय द्वारा आदेश 22, नियम 5 सी. पी. सी. के प्रावधानो के नीचे ही कर सकता है। प्रार्थी शेरसिंह का उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 14–03–2017 द्वारा स्वीकार कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 02–03–2015 मे नियम 5 के स्थान पर 3 एवं नियम 10 के स्थान पर 9 अंकित किये जाने की अनुमति प्रदान की तथा प्रार्थी को संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया। जिस पर प्रार्थी तदानुसार संशोधित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22, नियम 3, 9 सपठीत धारा–151 सी. पी. सी. का पेश किया। इस प्रकार आदेश 22 नियम 5 सी. पी. सी. के तहत आवेदन को प्रार्थी स्वयं ने त्याग दिया है। इसके अलावा स्वयं प्रार्थी के पिता जब्बरसिंह ने वादीनी के मुख्तियार के तौर पर न्यायालय मे दिनांक 20–01–2003 को दिये बयानो मे कहा कि "लाडकंवर बुजुर्ग है, उनकी उम्र 75 वर्ष है, कानो से कम सुनते है। लाडकंवर की मानसिक स्थिति कमजोर है।" अतः वादीनी लाडंकवर न तो वक्त वसीयत वादग्रस्त आराजी की खातेदार थी और न ही वसीयत करने हेतू सक्षम थी। पत्रावली पर उपलब्ध बैचाणनामो दिनांक 11–05–1972 एवं बख्शीशनामा दिनांक 18–11–1978 जो बख्तावरसिंह ने बहक धनसिंह, गिरधारी व गोपालसिंह के पक्ष मे निष्पादन कर पंजीबद्ध करवाये, के अनुसार भी वादग्रस्त आराजी दावा प्रस्तुतीकरण के पूर्व ही आगे से आगे बैचाण हो चुकी थी अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार वसीयत से पूर्व वादग्रस्त आराजी आगे से आगे बैचाण हो चुकी थी अतः प्रार्थी को तथाकथित वसीयत के आधार पर वादग्रस्त आराजी मे कोई हक अधिकार उत्पन्न नही होते है।

8. इसके विपरित अप्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादी गोपालसिंह के पक्ष मे बख्तावरसिंह जो वादीनी लाडकंवर का पति था के द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड गोदनामा एवं बख्शीशनामा पेश किया जिसके अवलोकन से बख्तावरसिंह द्वारा प्रतिवादी गोपालसिंह को गोद लिये जाने के पुख्ता प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त गोदनामा को वादीनी लाडकंवर ने अपने जीवनकाल मे कभी भी चेलेन्ज नही किया। धारा–16 हिन्दू दतक एवं भरनपोषण अधिनियम अनुसार रजिस्टर्ड गोदनामा के सही होने की न्यायालय द्वारा उपधारणां करने बाबत् आज्ञापक प्रावधान है, जब तक की गोद को गलत साबित न कर दिया जावे। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जो उक्त रजिस्टर्ड गोदनामा को गलत साबित करती हो। परन्तु वकील अप्रार्थी प्रतिवादीगण का यह भी तर्क रहा कि पत्रावली पर उपलब्ध बैचाणनामो दिनांक 11–05–1972 एवं बख्शीशनामा दिनांक 18–11–1978 जो बख्तावरसिंह ने बहक धनसिंह, गिरधारी व गोपालसिंह के पक्ष मे निष्पादन कर पंजीबद्ध करवाये, के अनुसार भी वादग्रस्त आराजी दावा प्रस्तुतीकरण के पूर्व ही आगे से आगे बैचाण हो चुकी थी अतः वकील अप्रार्थी प्रतिवादीगण ने दावा एबेट हो जाने से खारिज करने का निवेदन किया है। अतः उपरोक्त विनिश्चयन के पश्चात् न्यायालय द्वारा यह भी देखना है कि क्या प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विहीत मयाद अवधि मे प्रस्तुत हुआ या नही ? इस संबंध मे पत्रावली का अवलोकन करने पर हम पाते है कि मृत वादीनी लाडकंवर के देहान्त दिनांक 16.10.2014 के

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

90 दिन पश्चात् प्रार्थी द्वारा वसीयत के आधार पर प्रार्थना पत्र दिनांक 02–03–2015 को प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार स्वीकृत विधिक स्थिति अनुसार वादीनी का दावा बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ एबेट हो चुका था। परन्तु प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र मे उक्त एबेटमेन्ट को निरस्त करने हेतू कोई अनुतोष नही चाहा तथा प्रार्थी द्वारा आवेदन को प्रस्तुत करने मे जो विलंब हुआ उसको माफ करने हेतू जो आवेदन पेश किया उसमे हस्तगत वाद विचाराधीन होने बाबत् जानकारी नही होना कथन किया जबकी प्रार्थी स्वयं द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा दिनांक 14.10.2014 मे वादग्रस्त आराजी निस्बत् वाद विचाराधीन होने बाबत् तथ्य अंकित है अतः प्रकट है कि प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र मे न्यायालय को मिसलिड करने हेतू झूठे तथ्य कथन दर्ज किये है अतः प्रार्थी न्यायालय से किसी प्रकार की दया का पात्र नही है। इस संबंध मे हम माननीय सर्वोच्च के न्याय दृष्टान्त 2010 (1) डी. एन. जे. पेज 849 जो हस्तगत प्रकरण के तथ्यो पर पूर्णतया चस्पा होता है। उक्त न्याय दृष्टान्त 2010 (1) डी. एन. जे. पेज 849 मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिनिर्धारित किया गया कि Wrong statement made by LR's were not aware of pendency of appeal- One of the LR's examined in trial Court- No sufficient cause-Held, Application dismissied. हस्तगत प्रकरण मे भी प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे गलत तथ्य दर्ज किया कि उसे हस्तगत वाद के विचाराधीन होने की जानकारी नही थी जबकी प्रार्थी का पिता जब्बरसिंह वादीनी लाडकंवर के मुख्तियार की हैसियत से लम्बे समय से हस्तगत वाद मे पैरवी कर रहा था तथा वादीया के मुख्तियार की हैसियत से न्यायालय मे examined भी हुआ। इसके अलावा प्रार्थी स्वयं द्वारा प्रस्तुत वसीयत मे हस्तगत वाद मे वर्णित आराजी बाबत् वाद विचाराधीन होने बाबत् तथ्य दर्ज है। इस प्रकार प्रकट है कि प्रार्थी ने हस्तगत वाद के विचाराधीन होने की जानकारी नही होने बाबत् अपने प्रार्थना पत्र मे गलत तथ्य अंकित कर आवेदन किये है अतः प्रार्थी ने एक्स फैसी फाल्स कथन किये है अतः देरी से प्रार्थना पत्र पेश करने बाबत् पर्याप्त एवं उचित कारण नही है। इसके अलावा प्रतिस्थापित करने हेतू दिये गये आवेदन पत्र मे, उपशमन को अपास्त करने हेतू कोई अनुतोष पूर्व प्रार्थना पत्र दिनांक 02–03–2015 एवं संशोधन की अनुमति दिये जाने के पश्चात प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 17–04–2017 मे भी नही चाहा गया है अतः उक्त प्रार्थना पत्र को कानूनी नजीर 1987 आर. एल. डब्ल्यू. पेज 492, 2013 (2) आर. आर. टी. पेज 1415, 2010 (2) आर. आर. टी. पेज 1458 अनुसार उपशमन को अपास्त करने का आवेदन नही समझा जा सकता है। कानून का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि सारभूत न्याय प्रदान की प्रक्रिया मे किसी दूसरे पक्ष मे साथ अन्याय नही होना चाहिये। वाद के उपशमन होने के परिणामस्वरूप प्रतिवादी पक्ष के हित मे कानूनी बिन्दू सृजित हो गया है, जिसे सरसरी तौर पर या विधिक प्रावधानो के विपरित उससे छीना नही जाना चाहियें। इस प्रकार प्रार्थी पक्ष द्वारा आदेश 22 नियम 3 व 9 का प्रार्थना पत्र समय पर प्रस्तुत नही करने से वाद मृतक पक्षकार के विरूद्ध स्वत् उपशमित (खारिज) हो गया है। इसके अलावा प्रतिवादी अभयसिंह के अधिवक्ता ने दिनांक 18–02–2015 को एक प्रार्थना पत्र मय अभयसिंह के मृत्यु प्रमाण की नकल सहीत प्रस्तत कर न्यायालय मे प्रतिवादी अभयसिंह की मृत्यु की सूचनार्थ पेश किया जिसकी नकल उसी दिन अधिवक्ता वादीनी को दी गई। परन्तु वादी/प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रतिवादी अभयसिंह की मृत्यु की जानकारी की दिनांक से करीब 17 माह बाद आवेदन पत्र दिनांक 26–07–2016 को न्यायालय मे प्रस्तुत किया परन्तु उक्त आवेदन पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत नही करने बाबत् कोई उचित एवं पर्याप्त आवेदन पत्र मे दर्ज नही किया और न ही उक्त आवेदन पत्र दिनांक 26–07–2016 मे मृत अभयसिंह के विरूद्ध हुऐ एबेटमेन्ट को अपास्त करने हेतू अनुतोष चाहा है अतः विधि अनुसार वादीनी का दावा प्रतिवादी अभयसिंह के विरूद्ध भी एबेट हो चुका है अतः एबेटमेन्ट मे खारिज करने योग्य है।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

9. अतः उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान मे रखते हुये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22, नियम 3, 9 सपठीत धारा–151 सी. पी. सी. एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम दिनांक 02–03–2015 (दिनांक 17–04–2017) एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22, नियम 4, 9 सपठीत धारा–151 सी पी सी मय प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मयाद अधिनियम दिनांक 26–07–2016, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22, नियम 3 सपठित धारा–151 सी पी सी दिनांक 08–10–2018 एतदद्वारा अस्वीकार कर खारिज किये जाते है। फलस्वरूप वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद एबेट हो जाने से खारिज किया जाता है। डिक्री परचा मुर्तिब हो। पत्रावली फ़ैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 27.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर,
बइजलास– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, (आई.ए.एस.)

मुकद्दमा संख्या– राजस्व वाद संख्या 38 सन् 2002 अंतर्गत धारा 53,88,183 आर.टी.एक्ट

वादीः–

1. लाडकंवर जोजे बख्तावरसिंह, जाति–राजपूत,निवासी–काणदरा, तहसील पाली, जिला पाली,

बनाम प्रतिवादीगणः–

1. मृत गुमानसिंह पुत्र जुंजारसिंह के कायम मुकामः–
   - 1/1 मोहनकंवर बेवा गुमानसिंह
   - 1/2 सायरकंवर पुत्री गुमानसिंह
   - 1/3 उगमसिंह पुत्र गुमानसिंह
   - 1/4 गोविन्दसिंह पुत्र गुमानसिंह
   - 1/5 मदनसिंह पुत्र गुमानसिंह
   - 1/6 दशरथकंवर पुत्री गुमानसिंह
2. गोपालसिंह पुत्र गुमानसिंह
3. रूपसिंह पुत्र गुमानसिंह
4. गुलाबसिंह पुत्र जालमसिंह
5. नाथुसिंह पुत्र जालमसिंह
6. अभयसिंह पुत्र जालमसिंह
7. छैलकंवर जोजे गोपालसिह जतिगण–राजपूत, निवासी गण – काणदरा, तहसील व जिला–पाली
8. जीवाराम पुत्र धन्ना कौम कीर, साकिन मानपुरा की ढाणी
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पाली

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक वादी बहाजरी मिनजानिब मुद्दई व बहाजरी श्री दौलत मकवाणा, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम डिकी इस आशय की जारी की जाती है कि श्री मदनदास वैष्णव अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22, नियम 3, 9 सपठीत धारा–151 सी. पी. सी. एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम दिनांक 02–03–2015 (दिनांक 17–04–2017) एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22, नियम 4, 9 सपठीत धारा–151 सी पी सी मय प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मयाद अधिनियम दिनांक 26–07–2016, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22, नियम 3 सपठित धारा–151 सी पी सी दिनांक 08–10–2018 स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है। वादीनी का वाद एबेट हो जाने से खारिज किया जाता है।

नीज.....शून्य..... मुबलिग .....शून्य.... बाबत.....शून्य.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....शून्य..... फीसदी आज की तारीख से वसूलयानी तक .....शून्य..... को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27 माह 01 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत.....
ओहदा.....सहायक कलेक्टर पाली

मुहर

कृ0पृ0उ0

Scanned by CamScanner

मुददई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीनामा	—	—	स्टाम्प वकालतनामा	—	—
स्टाम्प वकालतनामा	—	—	स्टाम्प हाजरी	—	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	मेहनताना वकील पर	—	—
मेहनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान	—	—
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर	—	—
फीस कमिश्नर	—	—	बाबत इजराय हुक्मनामा	—	—
बाबत इजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफरिक	—	—
मुतफरिक	—	—	—	—	—
मीजान			मीजान		

नोटः— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर जो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं द्रर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.01.31 18:25:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: